

# उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2011

उत्तर प्रदेश शासन


गृह (पुलिस) अनुभाग-10

संख्या: 2631/6-पु0-10-11-27(28)-2001 टी0सी0

लखनऊ, 7 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना


उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 और पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1861) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उप धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अन्य समस्त समर्थनकारी शक्तियों का प्रयोग करके तथा सरकारी अधिसूचना संख्या-3730/छ:-पु-10-2002 दिनांक 31 दिसम्बर, 2002, जिसके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2002 बनायी गयी थी, को अधिकमित करके राज्यपाल, शासनादेश संख्या-2095/छ:-पु-10-2011 दिनांक 26.9.2011 द्वारा सन् 1861 के उक्त अधिनियम के अधीन पुलिस बल घोषित, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से " उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2011" प्रख्यापित की जा चुकी है, जिसकी प्रति संलग्न है।

  
(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)  
विशेष सचिव,

संख्या 2631/6-पु0-10-11-27(28)-2001 टी0सी0 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूघनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
5. कार्मिक अनुभाग-1/2
6. भाषा अनुभाग-5
7. विधायी अनुभाग-1

आज्ञा से,  
  
(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)  
विशेष सचिव

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**गृह (पुलिस) अनुभाग-10**

संख्या 2601/6-पु0-10-11-27(28)-2001 टी0सी0

लखनऊ, 25 नवम्बर, 2011

**अधिसूचना**

**प्रकीर्ण**

सा0प0नि0---

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 और पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1861) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उप धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अन्य समस्त समर्थनकारी शक्तियों का प्रयोग करके तथा सरकारी अधिसूचना संख्या-3730/छ:-पु-10-2002 दिनांक 31 दिसम्बर, 2002, जिसके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2002 बनायी गयी थी, को अधिकमित करके राज्यपाल, शासनादेश संख्या-2095/छ:-पु-10-2011 दिनांक 26.9.2011 द्वारा सन् 1861 के उक्त अधिनियम के अधीन पुलिस बल घोषित उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित)**  
**सेवा नियमावली, 2011**

**भाग-1-सामान्य**

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की  
प्रारिथति  
परिभाषायें

2. उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में-  
(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) प्रोग्रामर ग्रेड-2 तथा कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी एवं सी के पदों के सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी का तात्पर्य पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें उत्तर प्रदेश से है और कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों के सम्बन्ध में सहायक निदेशक/ पुलिस अधीक्षक, कम्प्यूटर केन्द्र, उत्तर प्रदेश से है;

- (ग) 'बोर्ड' का तात्पर्य समय-समय पर इस निमित्त जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित 'उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड' से है;
- (घ) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
- (ङ) 'कम्प्यूटर केन्द्र' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र से है;
- (च) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
- (छ) 'पूर्व प्रवृत्त नियमावली' का तात्पर्य उ० प्र० पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अरापत्रित) सेवा नियमावली, 2002 से है;
- (ज) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;
- (झ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
- (ञ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;
- (ट) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है;
- (ठ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा से है;
- (ड) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
- (ढ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले बारह माह की अवधि से है।

### भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

- 4.(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
- (2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है:-

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल पद
1	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए	4	2840	2844
2	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी	—	315	315
3	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी	20	02	22
4.	प्रोग्रामर ग्रेड-2	14	03	17

परन्तु यहकि-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं; जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

### भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी,-

(1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए -सीधी भर्ती द्वारा।

(2) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी-मौलिक रूप से नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पद पर छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यहकि यदि पदोन्नति हेतु अनुभवी एवं योग्य कर्मी उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्तियों को पुलिस विभाग के जनपद/इकाइयों में कार्यरत योग्य एवं अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से स्थानान्तरण के आधार पर भरा जा सकेगा।

(3) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी-मौलिक रूप से नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के पद पर छः वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यहकि यदि पदोन्नति हेतु अनुभवी एवं योग्य कर्मी उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्तियों को पुलिस विभाग के जनपद/इकाइयों में कार्यरत योग्य एवं अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से स्थानान्तरण के आधार पर भरा जा सकेगा।

(4) प्रोग्रामर ग्रेड-2-

(1) पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा।

(2) पचास प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी के पद धारकों में से सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी के पद पर कम से कम छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यहकि यदि पदोन्नति हेतु अनुभवी एवं योग्य कर्मी उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्तियों को पुलिस विभाग के जनपद/इकाइयों में कार्यरत योग्य एवं अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से स्थानान्तरण के आधार पर भरा जा सकेगा।

## आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

## भाग-चार - अर्हतायें

## राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—
- (क) भारत का नागरिक हो, या
  - (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थाई निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
  - (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो:
- परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ब) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया हो:
- परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें:
- परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाणपत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

## शैक्षिक अर्हता

8. सेवा के विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है:—

## (1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—ए—

- (क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

एवं  
भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एकीडेटेड इन कम्प्यूटर एण्ड कम्यूनिकेशन (DOEACC) विभाग से कम्प्यूटर में "ओ" लेबिल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

या  
(ख) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से कम्प्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रानिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

## (2) प्रोग्रामर ग्रेड-2-

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

एवं  
भारत सरकार के डिपार्टमेंट आफ इलेक्ट्रानिक्स एकीडेटेड इन कम्प्यूटर एण्ड कम्यूनिकेशन (DOEACC) विभाग से कम्प्यूटर में "ए" लेबिल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

या  
(ख) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (कम्प्यूटर विज्ञान) या विज्ञान स्नातक (सूचना प्रौद्योगिकी) या विज्ञान स्नातक (इलेक्ट्रानिक्स) की उपाधि के साथ कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.सी.ए.) या भारत सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

अधिमाननी  
अर्हतायें

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने-

(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(ग) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेन्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस को जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, नीचे दी गयी सारिणी में पद के विरुद्ध विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु प्राप्त न की हो:-

क्रम संख्या	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1.	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए	18 वर्ष	28 वर्ष
2.	प्रोग्रामर ग्रेड-2	21 वर्ष	30 वर्ष

परन्तु यहकि-

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोज्य के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक  
प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु यहकि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक  
स्वस्थता

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइननेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे, परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

## भाग-पांच -भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का  
अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और इसकी सूचना बोर्ड को देगा। सीधी भर्ती के लिए बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रूप से रिक्तियां अधिसूचित की जायेगी एवं अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे:-

- (1) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा।
- (2) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपकाकर या रेडियो/ दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके।
- (3) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।
- (4) जनसंचार के किन्हीं अन्य माध्यमों द्वारा।

सीधी भर्ती की  
प्रक्रिया

15. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए हेतु भर्ती प्रक्रिया-

- ✓(1) सेवा में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा की जायेगी।

बोर्ड आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। लिखित परीक्षा निम्नवत् होगी-

- (2) लिखित परीक्षा-(200 अंक)

लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। परीक्षा कुल 200 अंक की होगी। लिखित परीक्षा सामान्य ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य तथा तर्क शक्ति एवं कम्प्यूटर विज्ञान से सम्बन्धित होगी। प्रश्न पत्र का स्तर पद के लिए न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।

लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में, जितनी अपेक्षित हो अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर टंकण परीक्षा हेतु बुलायेगा।

- (3) कम्प्यूटर टंकण परीक्षा -(अर्हकारी)

कम्प्यूटर टंकण परीक्षा अर्हकारी परीक्षा होगी। हिन्दी में न्यूनतम 25 शब्द तथा अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग की दक्षता रखने वाले अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में सफल घोषित किया जायेगा।

- (4) बोर्ड, अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षण के मानकों के अनुसार, अभ्यर्थियों के सम्यक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में

प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणताक्रम में एवं अधिमानी अर्हता के अनुसार एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितना वह नियुक्ति के लिए उचित समझे संस्तुति करेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, एवं उनके पास कोई अधिमानी अर्हता नहीं हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। बोर्ड, नियुक्ति प्राधिकारी को सफल अभ्यर्थियों की सूची अग्रसारित करेगा।

✓ प्रोग्रामर ग्रेड-2 हेतु भर्ती प्रक्रिया

16.(1) सेवा में प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा की जायेगी।

बोर्ड आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और पात्र अभ्यर्थियों से उप नियम-(2) के अनुसार लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा।

(2) लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी एवं दो भागों में होगी। प्रत्येक भाग 100 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग का प्रश्न पत्र मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित होगा। लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग से सम्बन्धित होगा। प्रश्न पत्र का स्तर पद के लिए न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा। केवल ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किया हो, उप नियम (3) में उल्लिखित सूची में रखा जायेगा।

(3) बोर्ड, अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षण के मानकों के अनुसार, अभ्यर्थियों के सम्यक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणताक्रम में एवं अधिमानी अर्हता के अनुसार एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितना वह नियुक्ति के लिए उचित समझे संस्तुति करेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, एवं उनके पास कोई अधिमानी अर्हता नहीं हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। बोर्ड, नियुक्ति प्राधिकारी को सफल अभ्यर्थियों की सूची अग्रसारित करेगा।

✓ प्रोन्नति भर्ती प्रक्रिया

द्वारा की

17. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया-

(1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए से कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के पद पर प्रोन्नति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से आयोजित विभागीय परीक्षा के आधार पर की जायेगी।

(2) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। यह कुल 200 अंक की होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्नपत्र सामान्य ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं कम्प्यूटर विज्ञान से सम्बन्धित होगा। प्रश्न पत्र का स्तर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए हेतु न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।

(3) लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जो 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(4) सेवा अभिलेख के 50 अंक होंगे जो अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक निम्नवत् प्रदान किये जायेंगे—

(क) सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम 10 अंक होंगे। (अधिकतम अंक 10)

(ख) स्नातक अथवा उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता के लिए अधिकतम 05 अंक एवं शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त तकनीकी कम्प्यूटर कोर्स हेतु 05 अंक (अधिकतम अंक 10)

(ग) अधिकतम 15 अंकों के अधीन प्रत्येक प्रशिक्षण (तीन दिवस या अधिक अवधि का) के लिए 03 अंक (अधिकतम अंक 15)

(घ) वार्षिक प्रविष्टि के लिए 15 अंक होंगे। (अधिकतम अंक 15)

प्रत्येक वृहद दण्ड के लिए 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि और सूक्ष्म दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु पिछले दस वर्षों की सेवा अभिलेख पर विचार किया जायेगा।

सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गयी हो, पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।

(5) नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

#### 18. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया—

(1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी से कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी के पद पर प्रोन्नति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से आयोजित विभागीय परीक्षा के आधार पर की जायेगी।

(2) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। यह कुल 200 अंक की होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्नपत्र सामान्य ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य,

तर्क शक्ति एवं कम्प्यूटर विज्ञान से सम्बन्धित होगा। प्रश्न पत्र का स्तर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए हेतु न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।

- (3) लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जो चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (4) सेवा अभिलेख के 50 अंक होंगे जो अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक निम्नवत् प्रदान किये जायेंगे—

(क) सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम 10 अंक होंगे। (अधिकतम अंक 10)

(ख) स्नातक अथवा उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता के लिए अधिकतम 05 अंक एवं शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त तकनीकी कम्प्यूटर कोर्स हेतु 05 अंक (अधिकतम अंक 10)

(ग) अधिकतम 15 अंकों के अधीन प्रत्येक प्रशिक्षण (तीन दिवस या अधिक अवधि का) के लिए 03 अंक (अधिकतम अंक 15)

(घ) वार्षिक प्रविष्टि के लिए 15 अंक होंगे। (अधिकतम अंक 15)

प्रत्येक वृहद दण्ड के लिए 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि और सूक्ष्म दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु पिछले दस वर्षों की सेवा अभिलेखों पर विचार किया जायेगा।

सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गयी हो, पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।

- (5) नियम -6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर श्रेष्ठता कम में सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

#### 19. प्रोग्रामर ग्रेड-2 हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया

- (1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी से प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पद पर प्रोन्नति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से आयोजित विभागीय परीक्षा के आधार पर की जायेगी।

- (2) लिखित परीक्षा 200 अंक की होगी। यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी एवं दो भागों में होगी। प्रत्येक भाग 100 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग का प्रश्न पत्र सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित होगा। लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग से सम्बन्धित होगा। प्रश्न पत्र का स्तर पद के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।

(3) लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जो चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(4) सेवा अभिलेख के 50 अंक होंगे जो अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक निम्नवत् प्रदान किये जायेंगे—

(क) सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम 10 अंक होंगे। (अधिकतम अंक 10)

(ख) स्नातक अथवा उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता के लिए अधिकतम 05 अंक एवं शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त तकनीकी कंप्यूटर कोर्स हेतु 05 अंक (अधिकतम अंक 10)

(ग) अधिकतम 15 अंकों के अधीन प्रत्येक प्रशिक्षण (तीन दिवस या अधिक अवधि का) के लिए 03 अंक (अधिकतम अंक 15)

(घ) वार्षिक प्रविष्टि के लिए 15 अंक होंगे। (अधिकतम अंक 15)

प्रत्येक वृहद दण्ड के लिए 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि और सूक्ष्म दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु पिछले दस वर्षों की सेवा अभिलेखों पर विचार किया जायेगा।

सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गयी हो, पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।

(5) नियम -6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

**संयुक्त चयन सूची** 20. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।

**भाग-छ-नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता**

**नियुक्ति**

21.(1) नियम 6 एवं 14 के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16, 17, 18, 19 या 20 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथा स्थिति चयन में अवधारित ज्येष्ठता

के कम में या उस संवर्ग में उनके नाम के कम में, जिसमें से उन्हें प्रोन्नत किया गया हो, किया जायेगा। यदि सीधी भर्ती और प्रोन्नति दोनों के द्वारा नियुक्तियाँ की गयी हैं तो नामों को नियम-20 में निर्दिष्ट चकानुकम के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा।

### प्रशिक्षण

22. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पश्चात व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो कि उसके पद के अनुसार कम्प्यूटर कार्य के ज्ञान हेतु आवश्यक हो, अथवा जैसा कि सरकार या विभागाध्यक्ष तकनीकी सेवायें द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय।

### परिवीक्षा

23.(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

### स्थायीकरण

24.(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक है,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है, और

(ग) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

25. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

## भाग-7-वेतन इत्यादि

वेतनमान

26. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय शासन द्वारा प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं:-

क्रमांक	पद का नाम	वेतनमान		
		वेतन बैंड का नाम	सादृश्य वेतन बैंड	सादृश्य ग्रेड वेतन
1.	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए	वेतन बैंड-1	रु० 5200-20200	रु० 2400
2.	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी	वेतन बैंड-1	रु० 5200-20200	रु० 2800
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-सी	वेतन बैंड-2	रु० 9300-34800	रु० 4200
4.	प्रोग्रामर ग्रेड-2	वेतन बैंड-2	रु० 9300-34800	रु० 4600

परिवीक्षा

अवधि में वेतन

- 27.(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहाँ विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

- (2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

- (3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

## भाग - आठ - अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

28. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से

भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

29. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की आज्ञापक शर्तों में शिथिलता

30. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं के उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

अधिकार, विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व

31. उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली के अन्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी तथा प्रोग्रामर ग्रेड-2 विशेषाधिकार, दायित्वों, शक्तियों, दण्डों एवं संरक्षणों हेतु पुलिस अधिकारी समझे जायेंगे।


स्थानान्तरण

32. संवर्ग में नियुक्त/प्रतिनियुक्त व अन्य किसी आदेश के अधीन कार्यरत कर्मिकों को कार्य की आवश्यकतानुसार विभागाध्यक्ष, तकनीकी सेवार्यें अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/समिति द्वारा संवर्ग के अधीन उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद/स्थान/इकाई पर नियुक्त/स्थानान्तरित किया जा सकता है। जनपद को आवंटित/स्थानान्तरित कर्मियों को सम्बन्धित जनपद के थाना/पुलिस इकाई पर नियुक्ति/स्थानान्तरण जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

व्यावृत्ति

33. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आचरण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है।

आज्ञा सैं,



(कुंवर फतेह बहादुर)

प्रमुख सचिव,

# **Uttar Pradesh Shasan**

## **Grih (Police )Anubhag-10**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 2601/VI-pu-10-11-27(28)/2001 T.C dated November 25, 2011

### **Notification**

**No. 2601/VI-pu-10-11-27(28)/2001 T.C**

**Lucknow Dated November 25, 2011**

In exercise of the powers under clause (c) of sub section (2) of section 46 read with section -2 of the Police Act, 1861 (Act no. 5 of 1861) and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no 10 of 1897) and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of Government notification no. 3730/VI-P-10-2002 dated, December 31, 2002 whereby the Uttar Pradesh Police Computer Staff (Non Gazetted) Service Rules, 2002 made under Article 309 of the Constitution of India has been published, the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating recruitment and the conditions of service of persons of the Uttar Pradesh Police Computer Staff (Non Gazetted) Service declared to be the Police force under the provision of the said Act of 1861 vide Government order no. 2095/6-P-10-2011 dated 26.09.2011;

### **THE UTTAR PRADESH POLICE COMPUTER STAFF (NON-GAZETTED) SERVICE RULES, 2011**

#### **PART 1- General**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Short title and commencement</b> | 1. (1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Police Computer Staff (Non- Gazetted) Service Rules, 2011.<br>(2) They shall come into force at once.   |
| <b>Status of the service</b>        | 2. The Uttar Pradesh Police Computer Staff (Non-Gazetted) Service is a service comprising Group 'C' posts.   |
| <b>Definitions</b>                  | 3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context;<br>(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;<br>(b) 'Appointing authority' in respect of the posts of Programmer Grade-2 and Computer Operator Grade B and C means the Inspector General of Police, Technical Services, Uttar Pradesh and in respect to the post of Computer Operator Grade-A means the Assistant Director/Superintendent of Police, |

(2)

Computer Centre, Uttar Pradesh;

- (c) 'Board' means the Uttar Pradesh Police Service Recruitment and Promotion Board established in accordance with Government orders issued from time to time in this behalf;
- (d) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution.
- (e) 'Computer Centre' means the Uttar Pradesh Police Computer Centre;
- (f) 'Constitution' means the Constitution of India;
- (g) 'Earstwhile rules' means the Uttar Pradesh Police Computer staff (Non Gazetted) Service rules-2002;
- (h) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;
- (i) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;
- (j) 'Member of the Service' means a person appointed in the substantive capacity on a post under these rules or earstwhile rules;
- (k) 'Other Backward Classes of Citizens' means the backward classes of citizens, specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;
- (l) 'Service' means the Uttar Pradesh Police Computer Staff (Non Gazetted) Service;
- (m) 'Substantive appointment' means an appointment on a post in the service Cadre, not being an ad hoc appointment and duly appointed after selection in accordance with rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure applicable at the time, on executive orders issued by the Government;
- (n) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

**PART II-CADRE****Cadre of service**

- 4.(1) The strength of the service and posts in each category therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The strength of the service in each category of posts therein shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given below;

Sl. NO.	Name of Post	Number of posts		
		Permanent	Temporary	Total
1.	Computer Operator Grade-A	4	2840	2844
2.	Computer Operator Grade-B	-	315	315
3.	Computer Operator Grade-C	20	02	22
4.	Programmer Grade-2	14	03	17

Provided that-

- (1) The appointing authority may leave any vacancy unfilled or the Governor may keep in abeyance, without thereby entitling any person to any claim or compensation; or
- (2) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

**Source of recruitment.****PART III- Recruitment**

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources;

(1) Computer Operator Grade-A - By direct recruitment.

(2) Computer Operator Grade-B

by promotion from amongst substantively appointed Computer Operators Grade-A who have completed six years of service as Computer Operator Grade-A on the first day of the year of recruitment;

Provided that if sufficient number of suitable or eligible persons are not available for promotion, the posts may be filled by transfer of service of eligible and qualified persons from district/units of Police department.

(3) Computer Operator Grade-C

by promotion from amongst substantively appointed Computer Operators Grade-B who have completed six

(4)

years of service as Computer Operator Grade-B on the first day of the year of recruitment.

Provided that if sufficient number of suitable or eligible persons are not available for promotion, the posts may be filled by transfer of service of eligible and qualified persons from district/units of Police department.

**(4) Programmer Grade-2**

(1) Fifty percent by direct recruitment.

(2) Fifty percent by promotion from amongst substantively appointed Computer Operators Grade-C who have the qualification required for the direct recruitment and also have completed six years of service as Computer Operators Grade-C on the first day of the year of recruitment;

Provided that if sufficient number of suitable or eligible persons are not available for promotion, the posts may be filled by transfer of service of eligible and qualified persons from district/units of Police department;

**Reservation.**

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

**PART IV -Qualifications**

**Nationality.**

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be-
- (a) a citizen of India; or
  - (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanent settling in India; or
  - (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or may of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanent settlement in India;

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government;

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch of Uttar Pradesh;

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility shall be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

**Note:-** A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

**Academic  
qualification.**

8. A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must possess the following minimum educational qualifications:

**(1) Computer Operator Grade-A**

(a) Must have passed the Intermediate examination with Physics and Mathematics as subjects from the recognized board.

**And**

Must have passed "O" level examination in Computers from the Department of Electronics Accredited in Computers and Communications (DOEACC) of the Government of India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.

**OR**

(b) Must have obtained a Diploma in Computer Engineering, Information Technology or Electronics Engineering from the Board of Technical Education, Uttar Pradesh or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.

**(2) Programmer Grade-2**

(a) A Bachelor's degree from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.

**And**

Must have passed "A" level examination in Computers from the Department of Electronics Accredited in Computers and Communications (DOEACC) of the Government of India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto;

**OR**

(b) Must have obtained Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA) with B.Sc.(Computer Science) or B.Sc.(Information Technology) or B.Sc.(Electronics) from a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.

**Preferential qualifications.**

9. A candidate shall, other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment, who has,-  
(a) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, **or**

(b) obtained "B" certificate of National Cadet Corps, **or**

(c) successfully completed course on computer Hardware and computer Networking duly recognised by Government or Central Government.

**Age**

10. A candidate for direct recruitment must have attained the minimum age and must not have attained the age more than the maximum age specified, against the post in the table given below, on the first day of July of the Calendar year in which vacancies are advertised.

SL.NO.	Name of the Post	Minimum Age	Maximum Age
1.	Computer Operator Grade-A	18years	28years
2.	Programmer Grade-2	21years	30years

Provided that, the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

**Character.**

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

**Note:-** Persons dismissed by the Union Government or a

(7)

State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall not be eligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be not eligible.

**Marital status.** 12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that any special grounds exist for doing so, exempt any candidate from the operation of these rules.

**Physical fitness.**

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he possesses good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10, contained in Chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part III:

#### **PART-V -Procedure for Recruitment**

**Determination of vacancies.**

14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled and also the number of vacancies reserved for candidates belonging to the Schedule Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6, in the year of recruitment, and duly inform to the Board. The Board shall notify the vacancies and invite the application Forms from the candidates in the following manner:-

- (1) by issuing advertisement in daily news paper having wide circulation.
- (2) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/ Television and other Employment news papers,
- (3) by notifying vacancies to the Employment Exchange.
- (4) by any other mode of public communication.

**Procedure for direct recruitment.-**

15. **Procedure for recruitment of Computer Operator Grade-A**  
(1) Direct recruitment to the post of Computer Operator Grade-A in the service shall be made through Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow,

05/11/2011 6:45:28 PM

(8)

The Board shall scrutinize the applications and require the eligible candidates to appear in a written examination and a Computer Typing examination. Written examination will be as under:

**(2) Written Examination-(200 marks)**

Written examination shall be of objective type. Examination shall be of total 200 marks. The written examination paper shall consist of questions related to General Knowledge, Mental Ability, Reasoning and Computer Science. The level of question paper shall be according to the level of minimum required educational qualification for the post.

Minimum 40 percent marks are must in the written examination. The Selection Committee shall call successful candidates for the Computer Typing Examination on the basis of merit in the written Examination, in such numbers as required.

**(3) Computer Typing Examination(Qualifying)-**

The Computer Typing Examination shall be qualifying Examination. Candidates who type minimum 25 words per minute in Hindi and 40 words per minute in English, shall be declared successful in the Computer Typing Examination.

**(4)** The Board after due consideration of proper representation of candidates according to the norms specified for reservation, shall prepare a list from the list of successful candidates in Computer Typing Examination, in order of their marks obtained in written examination by considering preferential qualification, and recommend such number of candidates as it considers necessary for appointment. Such candidates who obtained equal marks the candidate having preferential qualification shall be placed higher and such candidates as have obtained equal marks having no preferential qualification, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Board shall forward the list of successful candidates to the appointing authority.

**16. Procedure for recruitment of Programmer Grade-2**

**(1)** Direct recruitment to the post of Programmer Grade-2 in the service shall be made through Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow.

(9)

The Board shall scrutinize the applications and require the eligible candidates to appear in the written examination referred to in sub-rule(2).

(2) Written examination shall be of total 200 marks. The written examination shall be of objective type and shall have two parts. The first part of the question paper of written examination shall consist of questions related to Mental Ability, Reasoning and Information Technology. The second part of the question paper of written examination shall consist of questions related to computer Programming. The level of question paper shall be according to the level of minimum required educational qualification for the post. Only such candidates as have obtained 40 percent marks or more in the written examination shall find place in the list referred to in sub rule (3).

(3) The Board after due consideration of proper representation of candidates according to the norms specified for reservation, shall prepare a list in order of their marks obtained in written examination and considering preferential qualification, and recommend such number of candidates as it consider necessary for appointment. Such candidates who obtained equal marks the candidate having preferential qualification shall be placed higher and such candidates as have obtained equal marks having no preferential qualification, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Board shall forward the list of successful candidates to the appointing authority.

**Procedure for recruitment through promotion**

**17. Procedure for recruitment of Computer Operator Grade-B by promotion**

(1) Promotion of Computer Operator Grade-A to Computer Operator Grade-B will be done on the basis of the departmental examination conducted by the Selection Committee constituted by the Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow.

(2) Written examination shall be of objective type. Examination shall be of total 200 marks. The written examination paper shall consist of questions related to General Knowledge, Mental Ability, Reasoning and Computer Science. The level of question paper shall be according to the level of minimum required educational qualification for the post of Computer Operator Grade-A.

(3) Minimum 40 percent marks are must in the written examination. The candidates who are unable to get 40 percent marks in the written examination will not be eligible for promotion.

(4) Marks on the basis of Service Records shall be of 50 marks and shall be awarded to each candidate which will be as follows:

(a) the maximum marks for the length of service shall be 10. **(Maximum 10 marks)**

(b) the maximum 05 marks for the graduation and above educational qualification and 05 marks for the Technical Computer course in addition to the educational qualification. **(Maximum 10 marks)**

(c) 03 marks for each training (training should be for the minimum period of 03 days or above) subject to maximum 15 marks. **(Maximum 15 marks)**

(d) 15 marks for Annual Remarks. **(Maximum 15 marks)**

For every major punishment 03 marks, for every minor punishment 02 marks and for every adverse entry and petty punishment 01 mark shall be deducted. For this purpose the service record of last 10 years shall be taken into consideration.

The service records shall also be examined keeping in view whether the candidate has been punished for such type of punishment which renders him unsuitable for promotion. Any candidate whose integrity was withheld even once, within the last five years shall not be eligible for promotion.

(5) The Board after due consideration of the norms specified in rule-6, prepare a list of successful candidates in order of merit as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in the written examination and service records and forward the same to the appointing authority.

#### **18. Procedure for recruitment of Computer Operator Grade -C by promotion**

(1) Promotion of Computer Operator Grade-B to Computer Operator Grade-C will be done on the basis of the departmental examination conducted by the Selection Committee constituted by the Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow.

(2) Written examination shall be of objective type. The examination shall be of total 200 marks. The written

(11) examination paper shall consist of questions related to General Knowledge, Mental Ability, Reasoning and Computer Science. The level of question paper shall be according to the level of minimum required educational qualification for the post of **Computer Operator Grade-A**.

- (3) Minimum 40 percent marks are must in the written examination. The candidates who are unable to get 40 percent marks in the written examination will not be eligible for promotion.
- (4) Marks on the basis of Service Records shall be of 50 marks and shall be awarded to each candidate which will be as follows:
  - (a) The maximum marks for the length of service shall be 10. **(Maximum 10 marks)**
  - (b) The maximum 05 marks for the graduation and above educational qualification and 05 marks for the Technical Computer course in addition to the educational qualification. **(Maximum 10 marks)**
  - (c) 03 marks for each training (training should be for the minimum period of 03 days or above) subject to maximum 15 marks. **(Maximum 15 marks)**
  - (d) 15 marks for Annual Remarks. **(Maximum 15 marks)**

For every major punishment 03 marks, for every minor punishment 02 marks and for every adverse entry and petty punishment 01 mark shall be deducted. For this purpose the service record of last 10 years shall be taken into consideration.

The service records shall also be examined keeping in view whether the candidate has been punished for such type of punishment which renders him unsuitable for promotion. Any candidate whose integrity was withheld even once, within the last five years shall not be eligible for promotion.

- (5) The Board after due consideration of the norms specified in rule-6, prepare a list of successful candidates in order of merit as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in the written examination and service records and forward the same to the appointing authority.

### 19. Procedure for recruitment of Programmer Grade-2 by promotion

- (1) Promotion of Computer Operator Grade-C to Programmer Grade-2 will be done on the basis of the departmental examination conducted by the Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow.
- (2) Written examination shall be of total 200 marks. The written examination shall be of objective type and shall have two parts. Each part shall be of 100 marks. The first part of the question paper of written examination shall consist of questions related to Information Technology. The second part of the question paper of written examination shall consist of questions related to computer Programming. The level of question paper shall be according to the level of educational qualification specified for the post.
- (3) Minimum 40 percent marks are must in the written examination. The candidates who are unable to get 40 percent marks in the written examination will not be eligible for promotion.
- (4) Marks on the basis of Service Records shall be of 50 marks and shall be awarded to each candidate which will be as follows:
  - (a) The maximum marks for the length of service shall be 10. (Maximum 10 marks)
  - (b) The maximum 05 marks for the graduation and above educational qualification and 05 marks for the Technical Computer course in addition to the educational qualification. (Maximum 10 marks)
  - (c) 03 marks for each training (training should be for the period of 03 days or above) subject to maximum 15 marks. (Maximum 15 marks)
  - (d) 15 marks for Annual Remarks. (Maximum 15 marks)

For every major punishment 03 marks, for every minor punishment 02 marks and for every adverse entry and petty punishment 01 mark shall be deducted. For this purpose the service record of last 10 years shall be taken into consideration.

The service records shall also be examined keeping in view whether the candidate has been punished for such

type of punishment which renders him unsuitable for promotion. Any candidate whose integrity was withheld even once, within the last five years shall not be eligible for promotion.

(5) The Board after due consideration of the norms specified in rule-6, prepare a list of successful candidates in order of merit as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in the written examination and service records and forward the same to the appointing authority.

### Combined select list

20. If in any year of recruitment, appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

### PART VI - Appointment, Training, Probation, Confirmation and Seniority .

### Appointment

21.(1) Subject to the provisions of rule 6 and rule 14, the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 15, 16, 17, 18, 19 or 20, as the case may be.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order, referred to in rules 20.

### Training

22. A candidate after appointment to a post in the service shall be required to undergo such training necessary for work related to Computers, required for the post or as prescribed from time to time by the Head of the Department Technical Services or Government.

### Probation

23.(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(14)

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is required.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

#### Confirmation

24. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, when the appointing authority has reason to believe that-

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(b) his integrity is certified, and

(c) he has successfully completed the prescribed training.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not needed the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

#### Seniority

25. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the cadre shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time;

**Part VII-Pay etc.****Scales of Pay**

26. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the services, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay as approved by the Government. at the time of the commencement of these rules are as given below-

S.No	Name of Post	Pay Scales		
		Name of Pay band	Corresponding Pay band (Rs)	Corresponding Grade Pay (Rs)
1.	Computer Operator Grade-A	Pay band-1	5200-20200	2400
2.	Computer Operator Grade-B	Pay band-1	5200-20200	2800
3.	Computer Operator Grade-C	Pay band-2	9300-34800	4200
4.	Programmer Grade-2	Pay band -2	9300-34800	4600

**Pay during probation**

27. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service shall be allowed first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the period of probation and also confirmed.

(2) The pay of personnel, during probation, already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affair of the State.

**Part VIII-Other Provision**

28. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post on service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

**Canvassing**

**Regulation of  
others matters.**

29. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service, shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

**Relaxation  
from the  
mandatory  
conditions of  
Service**

30. Where the Government is satisfied that the operation of any rule regulating the mandatory condition of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding any thing contained in these rules applicable in a particular case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

**Powers,  
Privileges and  
Responsibilities**

31. Computer Operator Grade-A, Computer Operator Grade-B, Computer Operator Grade-C, Programmer Grade-2 of Computer Staff (Non- Gazetted) Service Rules, shall be deemed to be a police officer, for the purpose of Privileges, liabilities, penalties, punishments, protection.

**Transfer**

32. Personnel working under the cadre by appointment/ Deputation or any other order, can be transferred/ attached to any district/ unit or place in Uttar Pradesh by remaining with in the cadre, as per requirement, by the order of, The Head of Department Technical Services or any committee/ Official as authorized by Head of Department Technical Services. The personnel allocated to any district will be transferred/ posted to police stations/district police unit by the respective District Police Chief.

**Savings**

33. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By orders,

*Qee*  
(Kunwar Fateh Bahadur)  
Principal Secretary.

Go-2452  
30/9/11

15-212

82 (25)

संख्या: 2095/6-पु0-10-2011

प्रेषक,

लीना जौहरी  
सचिव  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,  
उ0प्र0 लखनऊ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-10

लखनऊ-दिनांक 2 सितम्बर, 2011

विषय: उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर संवर्ग के पदों को पुलिस ढांचे के अनुरूप पुलिस विभाग का अंग बनाये जाने व कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड 'बी' के पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पुलिस की विभिन्न शाखाओं में पुलिस बल नियतन हेतु मानकीकरण का निर्धारण एवं उसके अन्तर्गत कम्प्यूटर आपरेटर के 3152 पदों का सृजन शासनादेश संख्या: 4147/6-पु0-1-08-120/08 दिनांक 11.12.08 द्वारा किया गया है। इसके पूर्व कम्प्यूटर से कार्य करने हेतु शासनादेश संख्या: 2477/8-10-83-04(46)/80, दिनांक 27.9.1983 द्वारा हेड कान्स0 के 08 पद सृजित किये गये, जिनमें एक पद सशस्त्र पुलिस के लिये समिलित है। इस प्रकार कम्प्यूटर संवर्ग के सृजित पदों की संख्या (3152+7) 3159 है।

2- उपरोक्त के अतिरिक्त कम्प्यूटर संवर्ग में सहायक प्रोग्रामर के 20 पद शासनादेश संख्या 763/8-10-4(22)/79 दिनांक 18.2.80 व शासनादेश सं0 2477/8-10-83-4(46)/80 दिनांक 27.9.83 द्वारा 02 पद सृजित हैं। इस प्रकार सहायक प्रोग्रामर के 22 पद सृजित हैं।

3- उपरोक्त स्वीकृत पदों के साथ प्रोग्रामर के 02 पद शासनादेश सं0 211/8-10-57/76 दिनांक 2.2.79, शासनादेश सं0 763/8-10-4(22)/79 दिनांक 18.2.80 द्वारा 12 पद व शासनादेश सं0 2477/8-10-83-4(46)/80 दिनांक 27.9.83 द्वारा 03 पद सृजित हैं। इस प्रकार प्रोग्रामर के कुल 17 पद सृजित हैं।

4- उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त कम्प्यूटर संवर्ग के पदों को पुलिस ढांचे के अनुरूप करते हुये इन पदों जिनका विवरण नीचे दिया गया है, को पुलिस विभाग का अंग बनाये जाने तथा कम्प्यूटर (कन्सोल) आपरेटर / हेडकां0 (प्रस्तावित पदनाम कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड 'ए') के स्वीकृत 3159 पदों में से 10 प्रतिशत अर्थात् कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड 'बी' के 315 पदों के सृजन की राज्यपाल महोदय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। प्रस्तावित पदों का विवरण निम्न तालिका में अंकित है:-

सहायक प्रोग्रामर  
सं0 2477/8-10-83-4(46)/80

सहायक प्रोग्रामर  
सं0 2477/8-10-83-4(46)/80

सहायक प्रोग्रामर  
सं0 2477/8-10-83-4(46)/80

27/9/11

क्र. सं.	वर्तमान में सृजित पदों का विवरण			प्रस्तावित पदों का विवरण (ई.डी.पी. संवर्ग के अनुरूप)		
	पदनाम	पे बैंड एवं ग्रेड पे	स्वीकृत पदों की संख्या	पदनाम	पे बैंड एवं ग्रेड पे	स्वीकृत पदों की संख्या
1	कन्सोल आपरेटर / हे0कां0 (कम्प्यूटर)	5200-20200 2400	3159	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए	5200-20200 2400	2844
				कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी	5200-20200 2800	315
2	सहायक प्रोग्रामर/उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर)	9300-34800 4200	22	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी	9300-34800 4200	22
3	प्रोग्रामर/निरीक्षक (कम्प्यूटर)	9300-34800 4600	17	प्रोग्रामर ग्रेड-2	9300-34800 4600	17

- 5- उपरोक्त पदों के पद धारकों को वित्त वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार नये वेतन संरचना में देय वेतनमानों के साथ स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।
- 6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-2203/दस-2011, दिनांक.26.9.11 सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(लीना जौहरी)  
सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।
- 4- पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय
- 4- वित्त वेतन अनुभाग -1 व 2।
- 5- गृह (पुलिस) अनुभाग-7
- 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
(लीना जौहरी)  
सचिव

42

प्र.क.स.

संख्या:: 815/6-पु0-10-2011

प्रेषक,  
राजेन्द्र प्रसाद मिश्र,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,  
अपर पुलिस महानिदेशक,  
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें,  
जवाहर भवन,  
लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2011

विषय:- उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत नियमावली का आलेख्य वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 को परामर्श हेतु संदर्भित किया गया था। वित्त विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि राजकीय विभागों के कम्प्यूटर कर्मचारी (ई0डी0पी0) संवर्ग के सम्बन्ध में वेतन समिति (2008) की संस्तुति पर लिये गये निर्णय सम्बन्धी वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 8.9.2010 (फोटोप्रति संलग्न) में उल्लिखित पदनामों से प्रस्तावित नियमावली में उल्लिखित पदनाम भिन्न हैं। अतएव ई0डी0पी0 संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार पदनाम व वेतनमान + ग्रेड वेतन रखा जाय।

वित्त विभाग के उक्त परामर्श के सम्बन्ध में सचिव, गृह विभाग तथा पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय की उपस्थिति में प्रमुख सचिव, गृह विभाग से विचार-विमर्श कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। विचारोपरान्त यह मत स्थिर किया गया कि वित्त विभाग के परामर्श के परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें द्वारा आख्या/प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। अतः अनुरोध है कि कृपया तदनुसार विषयगत नियमावली के प्रख्यापन के सम्बन्ध में आख्या/औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,



( राजेन्द्र प्रसाद मिश्र )  
विशेष सचिव

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,  
विशेष सचिव, वित्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख-सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2010

विषय:- वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के कम्प्यूटर कर्मचारी (ई0डी0पी0) संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के कम्प्यूटर कर्मचारी (ई0डी0पी0) संवर्ग के सम्बन्ध में नवम् प्रतिवेदन भाग-1 में दी गयीं निम्न संस्तुतियों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है :—

- (1) विभिन्न राजकीय विभागों में ई0डी0पी0 संवर्ग में विद्यमान प्रोग्रामर ग्रेड-1 एवं इससे उच्च स्तर के पद सिस्टम एनालिस्ट, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम मैनेजर के पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाय। उक्त पदों के धारकों द्वारा सेवा निवृत्ति/अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर ऐसी रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्तियाँ न की जायें। ऐसे पदों पर वर्तमान पदधारकों के बने रहने तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् बने रहेंगे। कार्यात्मक आवश्यकता होने पर इस श्रेणी के पदों से अपेक्षित कार्य आउटसोर्सिंग के रूप में एन0आई0सी0/सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कराया जाय।
- (2) भारत सरकार द्वारा, रू0 6500-10500 के वेतनमान वाले पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में रू0 7450-11500 के सादृश्य रू0 4600 ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने का सामान्य निर्णय अधिसूचना दिनांक 13 नवम्बर 2009 द्वारा लिया गया है। भारत सरकार के उक्त निर्णय के संदर्भ में राज्य में रू0 6500-10500 के पदों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में रू0 7450-11500 के सादृश्य रू0 4600 ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति की गयी है। प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पदों पर तदनुसार रू0 7450-11500 के वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 4600 अनुमन्य कराया जाय।
- (3) प्रदेश में ई0डी0पी0 संवर्ग में वर्तमान में विद्यमान पदों के संवर्गीय ढाँचे, पदनाम, भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना में

वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन निम्न तालिका के अनुसार रखा जाय :-

क्रम सं०	पदनाम	शैक्षिक एवं प्राविधिक अर्हता	भर्ती की विधि	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	
1	2	3	4	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए	(1) मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट या डी०ओ०ई० 'ओ' स्तर प्रमाण पत्र के साथ इण्टरमीडिएट। (2) डास/यूनिक्स/ विन्डोज के अन्तर्गत कार्यरत वातावरण में एम०एस० आफिस/लोटस/स्मार्टसूट आदि जैसे भिन्न भिन्न साफ्टवेयरों पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में डाटा इन्ट्री का अच्छा ज्ञान तथा किसी नेटवर्किंग आपरेटिव सिस्टम के वातावरण का एक्सपोजर। (3) हिन्दी तथा अंग्रेजी में कम से कम 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति।	सीधी भर्ती- विभागीय चयन समिति के माध्यम से।	वेतन बैंड-1 5200-20200	2400
2	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी	---	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पद पर 6 वर्ष की सेवा वाले पदधारकों में से पदोन्नति द्वारा।	वेतन बैंड-1 5200-20200	2800
3	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी	---	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के पद पर 6 वर्ष की सेवा वाले पदधारकों में से पदोन्नति द्वारा।	वेतन बैंड-2 9300-34800	4200
4	प्रोग्रामर ग्रेड-2 रु०	(1) पदोन्नति के मामले में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी के पद पर कम से कम 6 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो। (2) सीधी भर्ती के मामले में निम्न अर्हता रखी जाय- (i) मान्यता प्राप्त संस्था /	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति द्वारा- ऐसे कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-	वेतन बैंड-2 9300-34800	4600

	<p>निश्चिन्नालय से कम्प्यूटर विज्ञान मे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ स्नातक उपाधि या डी०ओ०ई० 'ए' स्तर प्रमाण पत्र सहित स्नातक उपाधि। (ii) डास/ यूनिक्स/ विन्डोज के अन्तर्गत कार्यरत वातावरण में सी/सी- फाक्सप्रो, आरडीवीएमएस जैसे ओरेकिल/ इनग्रेस /साइबेस, डीबी/2 आदि साफ्टवेयर डेवलपमेन्ट का अच्छा ज्ञान। (iii) किसी नेटवर्किंग आपरेटिव सिस्टम के वातावरण का एक्सपोजर। (iv) आफिस आटोमेशन पैकेज एवं इन्टरनेट का पूर्ण ज्ञान।</p>	सी के पदधारकों में से जो सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हों।		
--	--	---	--	--

- (4) प्रोग्रामर ग्रेड-2 एवं इससे ऊपर के पदों का एकीकृत संवर्ग नोडल विभाग वित्तीय सौख्यकीय निदेशालय के अन्तर्गत गठित किये जाने तथा नोडल विभाग द्वारा इन पदों के सम्बन्ध में एक आदर्श नियमावली बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- (5) राजकीय विभागों से इतर अन्य संस्थाओं के ई०डी०पी० संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में संस्तुतियों सम्बन्धित संस्थाओं की पदवार/संवर्गवार संस्तुतियों के साथ दी जायेंगी।

2- कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( अजय अग्रवाल )  
विशेष सचिव, वित्त।

संख्या-वे०आ०-2-2058(1)/दस-54(एम)/2008टी०सी०, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- (1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
- (2) निदेशक, एन०आई०सी०, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

अज्ञा से,

( नरेन्द्र कुमार )  
संयुक्त सचिव।